राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(ई–मेल **rajasthan_idsp@yahoo.co.in**)

क्रमांकः आईडीएसपी / 2020 / 134 दिनांकः 01.02.20

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
समस्त, अधीक्षक, राजकीय एवं मेडिकल कॉलेज,
समस्त, संयुक्त निदेशक,
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– कोरोना वायरस रोग के नियंत्रण हेतु चीन से लौटे यात्रियों की निरन्त निगरानी के क्रम में।

सन्दर्भ :–निदेशालय के पत्र क्रमांक आईडीएसपी / 2020 / 132 दिनांक 31.01.20 निरन्तरता के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश एवं सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं माहनिदेशक आईसीएमआर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक DO No. VIR/4/2020/ECD-I dated 31.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के निरन्तर के क्रम में लेख है कि कोरोना वायरस रोग के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संबंधित अधिकारी सम्पादित करना सुनिश्चित करे :–

- यात्रियों की लाईन लिस्ट की सूचना (ई–मेल, वाट्स एप एवं फोन) जिलों को प्राप्त होते ही समस्त यात्रियों को सतत निगरानी घर/अस्पताल में रखें।
- सूचना मिलते ही चिकित्सक सहित मेडिकल टीम यात्री के घर पंहुचेगी। मेडिकल टीम निर्धारित भेषभूषा व व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय (मास्क, केप, ऐप्रीन, गाउन, हैण्ड सेनेटाईजर व अन्य) के अपनाते हुए यात्री से सम्पर्क करें।
- यात्री को सलाह दे कि यदि 28 दिवस के भीतर यदि खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण हो तो मास्क का प्रयोग करें व साबुन से बार–बार हाथ धौते रहे तथा जिला कन्ट्रोल रूम 104/108 अथवा निकटत स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।
- यात्री की चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जावें तथा यात्री इस कार्य हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस कार्य की जानकारी यात्री को दी जावें।
- चिकित्सक दल द्वारा यात्री को यह जानकारी दी जावें कि उसे 28 दिवस में खांसी, बुखार आदि लक्षण आता है तो तुरन्त हैल्प लाईन नम्बर पर बात करें अथवा 104/108 अथवा निकटत स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा अपने आप को घर तक सीमित रखें तथा परिवारजनों से दूरी बनावें और साबून से बार–बार हाथ धौते रहे।
- जिला सर्विलेन्स टीम यात्री को 28 दिवस तक सुबह शाम व्यक्तिगतरूप से घर पर विजिट कर यात्री की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करें तथा यदि यात्री को 28 दिवस के भीतर बुखार और खांसी व अन्य लक्षण होते है तो तुरन्त आईसोलेशन वार्ड में स्थानान्तरित करते हुए कोरोना वायरस की नमूने लेकर जांच हेतु भिजवाये।
- यदि यात्री 28 दिवस के भीतर किसी अन्य जिलें में भ्रमण करता है तो संबंधित जिले को एवं निदेशालय को व्यक्तिगत रूप से सूचित करायें।
- यदि यात्री को अस्पताल में घर से गुमशुदा/लापता हो जाता है तो निदेशालय को तुरन्त सूचित करें ।
- **यदि यात्री को कोरोना वायरस के रोग संदेह के आधार पर अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो अस्पताल प्रभारी/अधीक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी परिस्थिति में यात्री/रोगी अस्पताल से बीना चिकित्सक के अनुमति के अस्पताल से प्रस्तान ना करें।**
- प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे यात्री का स्वास्थ्य की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को अवगत करावें। प्रपत्र–ए
- **यदि यात्री को संदेह के आधार पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तथा यात्री जांच उपरान्त नेगेटिव आता है तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरान्त घर पर आईसोलेशन कराते हुए 28 दिवस तक प्रतिदिन निगरानी रखी जाये।**

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(ई–मेल **rajasthan_idsp@yahoo.co.in**)

- यदि यात्री चीन के वुहान प्रान्त से आया है तो प्रत्येक यात्री को चाहे खांसी, बुखार व अन्य लक्षण हो अथवा नहीं हो तब भी यात्री का कोरोना वायरस की जांच हेतु सैम्पल लिया जाना आवश्यक है।
- जो यात्री चीन के वुहान प्रान्त के अलावा अन्य प्रान्तों से आये है और उन्हें खांसी, बुखार अथवा अन्य कोई लक्षण नहीं है तो ऐसे यात्री को घर पर आईसोलेशन की सलाह देते हुए 28 दिवस तक निगरानी में रखा जावें। लेकिन यदि यात्री के खांसी, बुखार व अन्य लक्षण है तो आईसोलेशन वार्ड में तुरन्त भर्ती करते हुए कोरोना वायरस की जांच हेतु सैम्पल लिया जायें एवं आवश्यक उपचार किया जावें।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कोरोना वायरस की जांच का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः भविष्य में किसी यात्री की कोरोना वायरस रोग की जांच कराई जाती है तो यात्री की नमूने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के माईक्रोबॉयोलोजी लैब में डॉ भारती मल्होत्रा वरिष्ठ प्रोफेसर (09414042040) से सम्पर्क करते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भिजवाया जाये।
- यदि यात्री को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो भारत सरकार प्राप्त निर्देशों यथा सैम्पलिग, उपचार, डिस्चार्ज व अन्य की पालना करना सुनिश्चित किया जाये।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः आईडीएसपी / 2020 / 134 दिनांकः 01.02.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
5. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी), मुख्यालय।
6. समस्त, संयुक्त निदेशक–जोन, राजस्थान।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त, अधीक्षक, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।